न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 378/एक/15 विरूध्द आदेश दिनांक 5/1/2015 पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, बीना जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 56/अ-27/13-14

1 मुंशी तनय रब्बू प्रजापति
2 रामकिशन तनय रब्बू प्रजापति
3 भगवान दास तनय दुर्गा प्रजापति
तीनों निवासी ग्राम सेमर खेडी तहसील बीना जिला सागर
4 कुंवर बाई पत्नि फुंदीलाल (फौत) वारिस-

अ कल्लू तनय फुंदी प्रजापति
ग्राम सेमर खेडी तहसील बीना जिला सागर
ब श्रीमति सरजू पति सुन्दर प्रजापति
ग्राम नौगांव तहसील बीना जिला सागर
स श्रीमति कलली बाई पति प्रनाम प्रजापति
ग्राम बेलई तहसील बीना जिला सागर

5 बनी बाई पति लक्ष्मन प्रजापति
ग्राम नौ गांव तहसील बीना जिला सागर
6 गायत्री बाई पति जालम प्रजापति
ग्राम सनाई तहसील बीना जिला सागर
7 कस्तुरी बाई (फौत) वारिस-

अ श्रीराम तनय फजल प्रजापति
निवासी ग्राम नौ गांव तहसील बीना जिला सागर
ब रतन तनय फजल प्रजापति
निवासी ग्राम नौ गांव तहसील बीना जिला सागर
स बती बाई पति भगोले
निवासी ग्राम धनौरा तहसील बीना जिला सागर

- आवेदकगण

निगरानी 378-एक/15

- विरूध्द -

1 जानकी प्रसाद तनय दुर्जन प्रजापति
निवासी ग्राम सेमर खेडी तहसील बीना जिला सागर

2 फूलाबाई पति कन्छेदी (फौत) वारिस-

अ देवीलाल तनय कन्छेदी निवासी खडिया मुहल्ला
मुंगावली जिला अशोकनगर

ब घनश्याम तनय कन्छेदी निवासी खडिया मुहल्ला
मुंगावली जिला अशोक नगर

स मुन्नी बाई निवासी ग्राम बडखेरा
मुंगावली जिला अशोक नगर

- अनावेदकगण

श्री कृष्णराव ,अभिभाषक, आवेदकगण

आ दे श

(आज दिनांक 10/03/16 को पारित)

१. यह निगरानी प्र क्र 378/एक/15 रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा ५० के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी बीना जिला सागर के प्र क्र 56/अ-27/13-14 में पारित आदेश दि 5-1-15 के विरुद्ध संस्थित हुआ है ।

२] प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है.

नायब तहसीलदार, बीना ने उनके न्यायालयीन प्र क्र १८९/अ२७/१२-१३ में दि १०-२-१४ को पारित आदेश से पक्षकारों के मध्य बटवारा किया गया. इस आदेश के विरुद्ध गैर-निगाराकार क्र-१ ने अनु अधि, बीना के समक्ष प्रथम अपील की, जिसमें पारित आक्षेपित आदेश से अनु अधि ने नायब तहसीलदार का उक्त आदेश निरस्त कर दिया. अनु अधि के इसी आदेश के विरुद्ध रा मं में यह निगरानी दायर हुई है.

३] मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया.

इनके प्रकाश में मैं यह पाता हूँ कि आक्षेपित आदेश दि ५-१-१५ अनु अधि द्वारा प्रथम अपील में पारित एक अंतिम आदेश है, जिससे उन्होंने विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा उनके समक्ष के अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया होना, तथा मौका कब्ज़ा अनुसार भूमि का असमान बटवारा किया गया होना पाया है, और इन आधारों पर नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करके प्रकरण समाप्त किया है. साथ ही उन्होंने विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार को व्यवहार वाद क्र ९६ए/२०१४ के निर्णय दि २-४-०७ के प्रकाश में बटवारा करने के निर्देश दिए हैं.

४] प्रकरण में विचारोपरांत मैं यह पाता हूँ कि चूँकि आक्षेपित आदेश दि ५-१-१५ अनु अधि द्वारा प्रथम अपील में पारित एक अंतिम आदेश है, जिसके विरुद्ध इस रा मं न्यायालय में निगरानी में आने के पूर्व पक्षकारों के पास अभी अधीनस्थ स्तर पर द्वितीय अपील में जाने का उपाय उपलब्ध था, अतः उन्हें वरिष्ठ स्तर पर आने से पहले अधीनस्थ स्तर की रेमेडीज़ exhaust करनी चाहियें थीं.

साथ ही मैं यह भी पाता हूँ कि अनु अधि का आक्षेपित आदेश प्रथमदृष्टया एक स्पष्ट और बोलते स्वरुप का आदेश है, जिसमें उन्होंने विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा उनके समक्ष के अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया होना, तथा भूमि का अनुचित तरीके से बटवारा किया गया होना पाया है, और इन आधारों पर नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त करके प्रकरण समाप्त किया है. साथ ही उन्होंने विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार को व्यवहार वाद क्र ९६ए/२०१४ के निर्णय दि २-४-०७ के प्रकाश में तथा मौके की स्थिति को विचार में लेकर बटवारा करने के निर्देश दिए हैं.

अतः, द्वितीय अपील में जाने के अतिरिक्त पक्षकारों के पास इस कमी की पूर्ति कराते हुए, यानि व्यवहार वाद क्र ९६ए/२०१४ के निर्णय दि २-४-०७ के प्रकाश में तथा मौके की स्थिति को विचार में रखवाकर, पुनः बटवारे हेतु विचरण न्यायालय के समक्ष जाने का रास्ता भी खुला है.

५] उपरोक्त के प्रकाश में मैं इस निगरानी को स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाता हूँ. अतः, प्रकरण अस्वीकार करते हुए रा मं से समाप्त किया जाता है.

आदेश पारित.

पक्षकार सूचित हों.

प्रकरण समाप्त.

दा द हो

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर